508/2025

गोरखी v/s नारायण

11/3/26 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी
अप्रार्थी सं 3 के सम्मन बाद तामील प्राप्त। आवाजें लगाई
सं. 3 को नियमानुसार तीन बार आवाजें समय 5.10 P.M
गई, कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी सं. 3 को पुनः
हो चुका है, न्यायालय में अप्रार्थी उपस्थित नहीं
आवाज लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित उपस्थित नहीं
आया। अप्रार्थी सं. 3 के बाद सूचना एकपक्षीय कार्यवाही
आने से अप्रार्थी सं. 3 के विरुद्ध प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा
अमल में लाई जाती है। प्रार्थी कार्यवाही किये जाने
अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का निवेदन किया
से एकपक्षीय बहस सुने जाने का एकपक्षीय बहस
जिस पर प्रार्थी अधिवक्ता की
सुनी गई। द्वारा दौराने बहस
प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन
किया कि ग्राम बोरड़ा की आराजी न. 3601 रकबा
1.0116 है. भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त
खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/6 हक
हिस्सा है। विपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त सहखातेदारी
भूमि में बिना विभाजन कराये शान्ति की तरफ की
भूमि व सम्पूर्ण भूमि पर चारदीवारी का निर्माण
प्रारम्भ कर दिया गया है तथा मकान का निर्माण
करने पर आमादा है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त
खातेदारी की भूमि होने से प्रत्येक इंच भूमि
पर प्रत्येक सहखातेदार का हक, अधिकार होता
है, परन्तु विपक्षीगण शान्ति की ओर की भूमि
पर अपना कब्जा कर निर्माण करने पर आमादा
है जिसे रोका जाना आवश्यक है। मौके पर

—लगातार—

11/3/26

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

11/3/26

विपक्षी सं. 1 लगा. 5 द्वारा करवाये जा रहे निर्माण की पुष्टि हेतु प्रार्थी द्वारा मौके की फोटोग्राफ पेश की गई है। वादग्रस्त भूमि में मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर लेने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का उद्देश्य ही निष्फल हो जायेगा। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थी की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु पत्रावली का निम्न 3 बिन्दुओं के आधार पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है :-

(i) प्रथमदृष्टया मामला
(ii) सुविधा का सन्तुलन
(iii) अपूरणीय क्षति

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु तीनों बिन्दुओं का संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार वादग्रस्त सम्पत्ति प्रार्थी व विपक्षीगण की संयुक्त खातेदारी की सम्पत्ति है जिसमें प्रत्येक इंच भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का हक व हिस्सा है। विपक्षीगण द्वारा सहखातेदारी की भूमि के मध्य वाले हिस्से जबकि_ अविभाजित क्षेत्र में मौके पर निर्माण

— लगातार —

11/3/26

...यक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रकरण सं. 408/2025 सोहनी बनाम नारायण

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
11/3/26	कार्य कर रहे हैं। जिसकी पुष्टि हेतु मौके पर निर्माण कार्य जारी होने के फोटोग्राफ संलग्न किये गये हैं। इस प्रकार प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति के बिन्दु को साबित करने में सफल रहा है। अतएव
	आदेश
	प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और ग्राम बोरड़ा की वादग्रस्त भूमि आराजी नं. 3601 रकबा 2.0116 हे. भूमि की मौके की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु विपक्षी सं. 1 लगा. 5 को पाबन्द किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो।
	(हस्ताक्षर) 11/3/26 सहायक कलक्टर भीलवाड़ा